यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून के माह 02/2018 से 01/2019 तक के लेखा- अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस.के.सिन्हा, श्री प्रितान्शु कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री आर॰ पी॰ एस॰ यादव, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनाँक 21.02.2019 से 05.03.2019 तक श्री डी. के. पिपलानी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया

भाग-I

1. **परिचयात्मकः-** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री श्री विजय पाल सिंह नेगी, व.ले.प एवं श्री एस.के.सिन्हा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17.02.2018 से 28.02.2018 तक श्री डी.के. पिपलानी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह माह 12/2016 से 01/2018 तक के लेखा-अभिलेखों की जाँच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2018 से 01/2019 तक के लेखा-अभिलेखों की जाँच की गयी।
2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**
   इकाई द्वारा जनपद में स्थापित चिकित्सा इकाईयों के माध्यम से चिकित्सा, स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार कल्याण एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं का सम्पादन, अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण जनपद **देहरादून** है।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-) `**	
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		**स्थापना**	**गैर स्थापना**
2015-16	0	0	1818.37	1672.97	459.80	416.25	-	145.40	43.55
2016-17	0	0	1641.21	1322.70	214.65	178.01	-	318.51	36.64
2017-18	0	0	1550.24	1458.20	673.69	391.49	-	92.03	282.21
2018-19 (01/19)	0	0	1698.97	1340.13	593.22	388.72	-	358.84	204.50

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2015-16	बाल संजीवनी, नगर परिवार कल्याण, जिला कल्याण ब्यूरो, ए.एन.एम.टी.सी.	0	529.03	502.16	26.87
2016-17		0	654.23	493.81	160.42
2017-18		0	545.32	499.70	45.62
2018-19 (01/19)		0	509.18	460.74	48.44

(iii) इकाई को बजट आबंटन केन्द्रांश एवं राज्यांश के रुप में राज्य स्तर से अवमुक्त किया जाता है तथा जिला योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त होता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "ए" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः-

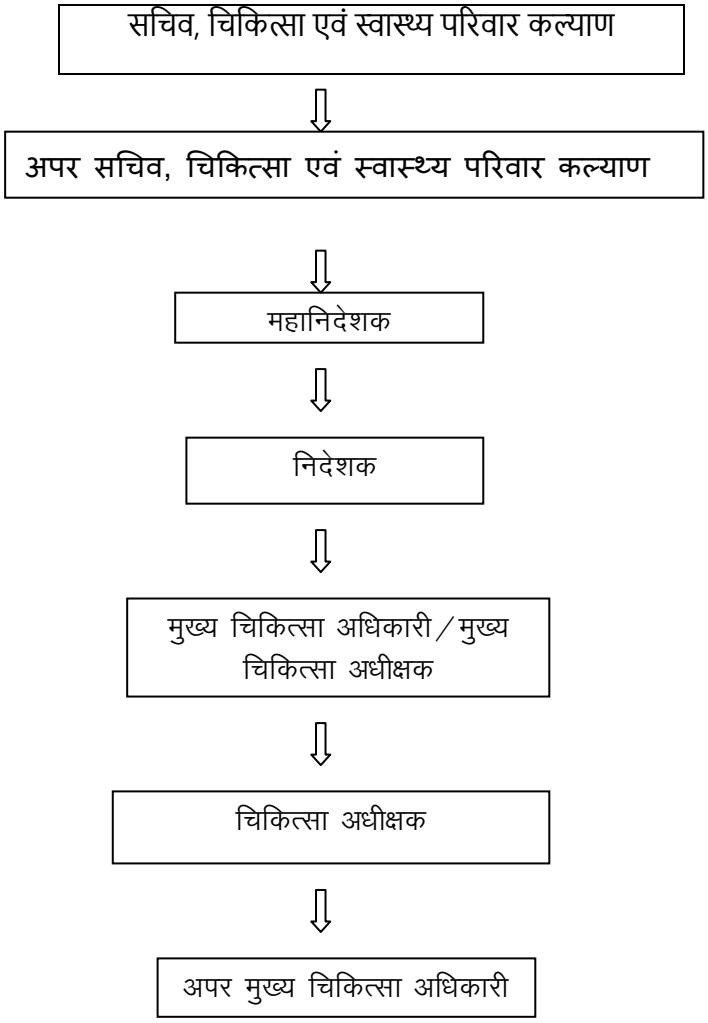

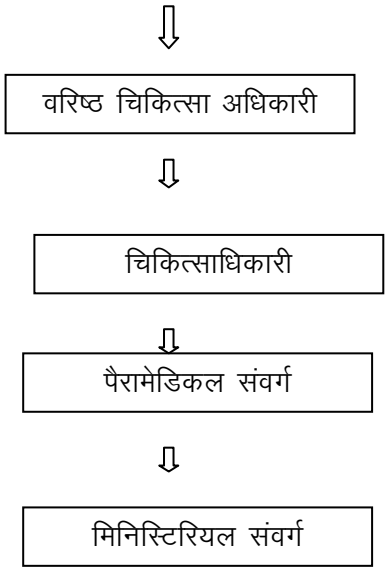

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2018 को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग दो '" ब"

प्रस्तर:1- MSBY योजना के सम्बद्ध चिकित्सालयों द्वारा लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं प्रदान करने के परिणामस्वरूप उपचारित चिकित्सा पर लाभार्थियों (कार्डधारकों) द्वारा निहित प्रावधानों के विरुद्ध रु. 3.78 लाख स्वयं के द्वारा व्यय किया जाना।

उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के बी.पी.एल./ए.पी.एल. परिवारों को अनुबंधित चिकित्सालयों/अस्पतालों में भर्ती लेकर स्वास्थ्य इलाज की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्यों से शासनादेश दिनांक अप्रैल 2015 द्वारा मुख्यमंत्री स्वस्थ्य बीमा योजना को राज्य के तहत जनपदों में प्रारम्भ किया गया था जिसके अन्तर्गत MSBY कार्डधारकों को प्रति परिवार रु. 50,000/- तक इलाज की सुविधा तथा गंभीर रोगों के लिए रु. 1.25 लाख तक निशुल्क इलाज सम्बद्ध चिकित्सालयों द्वारा प्रदान करने हेतु प्रावधानित किया गया था। शिकायतकर्ता द्वारा जिला/राज्य स्तर पर गठित शिकायत निवारण कमेटी में निपटान हेतु अपील कर मामले का निपटारा करने का भी प्रावधान किया गया था।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि मुख्यमंत्री स्वस्थ्य बीमा योजना का लाभ रोगी के उपचारित चिकित्सा के सापेक्ष हिमालयन हॉस्पिटल (सम्बद्ध चिकित्सालयों) द्वारा निशुल्क प्रदान नहीं किया गया बल्कि रोगी के उपचारित चिकित्सा की धनराशि रु. 3.78 लाख योजना के निहित प्रावधानों के विपरीत चिकित्सालय द्वारा वसूल की गयी जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	**रोगी का नाम/ MSBY कार्ड नं॰**	**चिकित्सालय का नाम**	**भर्ती अवधि**	**रोगी द्वारा स्वयं भुगतानित धनराशि**	**चिकित्सालय द्वारा धनराशि**
1.	शिवानी शर्मा D/o जाकम सिंह कार्ड नं. - 05050048611200092	हिमालयन हॉस्पिटल	02.05.2017 से 19.05.2017	रु. 60,406/-	शून्य
2.	ज्वाला प्रसाद महेन्द्रा S/o स्व॰ हरप्रसाद महेन्द्रा कार्ड नं. –	हिमालयन हॉस्पिटल	25.05.2018 से 27.05.2018	रु. 1,10,000/-	शून्य

	05131000700014502				
3.	टीकम सिंह राणा कार्ड नं. – 05050062236111004	हिमालयन हॉस्पिटल	04.08.2018 से 07.08.2018	रु. 1,22,387/-	शून्य
4.	स्व. श्री वसन्ता सिंह कार्ड नं. – 050500520432.....	हिमालयन हॉस्पिटल	20.06.2018 से 23.06.2018	रु. 85,227/-	शून्य

लेखापरीक्षा द्वारा आगे पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा CMO, Dehradun को लिखित शिकायत के बाद भी 4 से 5 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी ना तो चिकित्सालय के विरुद्ध कोई कार्यवाही सुनिश्चित की गयी, ना ही लाभार्थियों (रोगी) को उपचारित चिकित्सा पर व्यय धनराशि को चिकित्सालयों से वापस दिलवाया गया जिससे स्पष्ट है कि जनपद में योजना के उद्देश्यों को शतप्रतिशत सफलता प्राप्ति करने में विभाग पूर्णतः विफल रहा।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा तथ्यो को स्वीकारते हुये बताया की उक्त लाभार्थियो द्वारा शिकायत की गयी की थी परंतु जिला स्तर पर इस पर कार्यवाही अभी तक नहीं हुया है ।

इस प्रकार , MSBY योजना के सम्बद्ध चिकित्सालयों द्वारा लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं प्रदान करने के परिणामस्वरूप उपचारित चिकित्सा पर लाभार्थियों (कार्डधारकों) द्वारा निहित प्रावधानों के विरुद्ध रु. 3.78 लाख स्वयं के द्वारा व्यय किया जाना उच्च अधिकारी के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर 2: National Tobacco control Programme के मार्गदर्शिका के अनुसार जनपद देहरादून में संचालित District Tobacco Control Cell का कार्य पूर्णत निष्क्रिय रहना तथा इस योजना के अंतर्गत स्कूल Bags पर रु 4,28,050/- धनराशि का अनियमित व्यय किया जाना ।

With aim to create awareness about the harmful effects of tobacco consumption, reduce the production and supply of tobacco products, helps the people quit tobacco use and ensure effective implementation of the provisions under the Cigarettes of Trade and other tobacco products (Prohibition of advertisement and regulation of trade and commerce, Production and supply and contribution) Act 2013 (COTPA). The Guideline of NTPC were released in the 2012 by National Tobacco Cell at Ministry of Health and family welfare. The Implementation of the programme at the district and sub district level has been subsumed under the overarching umbrella of the National Health Mission (NHM) to bring in synergy at different level of health care delivery.

Further, the District Tobacco Cell (DTCC) shall be established in a district under the umbrella of the District Health Society. The cell would be the focal point for all the activities carried under the National Tobacco Control Programme (NTCP) at the district and sub district levels and it would be responsible for overall planning Implementation and monitoring of different activities and for achievement of physical and financial targets under the performance. For this the DTC is to be headed by District Nodal Officer (CMO/Civil Surgeon) on full time basis. The district level activities include the following key activities:-

1. Training of key stakeholder, health and social workers, NGOs, School teachers, enforcement, Offices etc
2. Information, Education and Communication (IEC) activities.
3. School Programme

4. Monitoring Tobacco Laws
5. Setting up and strengthening of cessation facilities including provision of Pharmacological treatment facilities at the district level.
6. Co-ordination with Panchayati Raj Institutions for including concepts of tobacco control at the grass roots.

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि National Tobacco Control Programme के मार्गदर्शिका में District Tobacco Control Cell (DTCC) का निम्न कार्य प्रावधानित किया गया था-

(i) Training and Capacity Building of Relevant Stakeholders:-

Target Trainees, Training Modules, Resource persons for training Number and duration of training से संबन्धित कोई भी activities संबंधी साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

(ii) NOs of Schools in District के अंतर्गत कितने स्कूलों को प्रत्येक वर्ष School Awareness Programme हेतु चयनित किया गया तथा चयनित स्कूलों में कितने प्राइवेट/ सरकारी स्कूल हैं, स्पष्ट नहीं है।

(iii) Setting up and expansion of Tobacco Cession facilities के तहत गत वर्षों में विभाग द्वारा कोई भी कार्य संपादित नहीं किया गया।

(iv) IEC/Media Campaign के तहत सिर्फ Board/Banner क्रय किया गया परंतु Stock Register के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि सभी क्रय किए गए Board/Banner स्टॉक से निर्गत नहीं किया गया था, ना ही किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा संपुष्टि किया गया था।

(v) Monitoring, the enforce act of Tobacco Control level के तहत कोई भी संपादित कार्यों के अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

उक्त के अलावा लेखापरीक्षा द्वारा आगे पाया गया कि योजना में वर्ष 2017-18 व 2018-19 (जनवरी 2019 तक) NTPC के अंतर्गत क्रय किए गए School Bags का निविदा पत्रावली में School Bags का Specification/Size वर्णित नहीं किया गया था, जिससे स्पष्ट नहीं था कि किस size/specification का School Bags का Quotation/Tender rate फार्मों से प्राप्त करना है। बिना Specification/Size बताए M/S Sanjay Kumar से रु. 4,28,050/- के School Bags का क्रय वर्ष 2018-19 हेतु किया गया था। इस तरह DTCC हेतु प्रावधानित Role and Responsibilities को पूर्ण

करने में रु. 4,28,050/- धनराशि व्यय किए जाने के बाद भी DTCC/विभाग पूर्णतः विफल रहा।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि National Tobacco Control Programme के तहत प्रावधानित शर्तो के साथ किया गया है । उत्तर मान्य नहीं है क्योकि school training modules के तहत सिर्फ दो ही ट्रेनिंग जनपद स्तर पर किया गया है तथा ऊक्त वर्णित साक्षय लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए है ।

इस प्रकार ,National Tobacco Control Programme के अंतेर्गत जनपद देहरादून में रु. 4,28,050/- धनराशि व्ययों के उपरांत निष्क्रिय रहना का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:3- ₹ 3.61 लाख की ब्याज से अर्जित धनराशि का बैंक में अवरुद्ध पड़ा रहना।

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 99/xxvii/(14)200 दिनांक 03-09-2009 के द्वारा अवगत कराया गया था कि यदि किसी कारणो से समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपयोग न हुआ हो और उस पर ब्याज अर्जित हो तो उसे राजकोष के 0049 ब्याज प्राप्तिया लेखाशीर्ष मे जमा किया जाय। लेखापरीक्षा मे पाया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून द्वारा संचालित बैंक खाता संख्या 1532000101277131 पी एन बी रेसकोर्स देहरादून मे दिनाँक 01/02/2018 से 31/01/2019 के मध्यअर्जित ब्याज कि धनराशि ₹361694/- जमा है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि ब्याज के रूप मे अर्जित ₹ 3.62 लाख धनराशि खातों मे अवरुद्ध पड़ी हुयी थी।

इस संबंध मे इकाई से पुछे जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकारते हुये अपने उत्तर में बताया कि अर्जित ब्याज की धनराशि शीघ्र ही सुसंगत लेखा शीर्ष मे जमा करा दी जाएगी ।

अतः ₹ 3.62 लाख की ब्याज से अर्जित धनराशि का खातों में अवरुद्ध पड़े रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-4- ई-भुगतान की धनराशि रु0 110.05 लाख को रोकड बही में प्रविष्टि न किया जाना।

शासन के पत्रांक संख्या 3/XXVII(6)/2013 दिनाँक 02 जनवरी 2013 के बिन्दु संख्या 4.9 में ई-भुगतान प्रणाली में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकरी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बन्धित के बैंक खाते में अन्तरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बन्धित अभिलेखों यथा 11-सी पंजिका, रोकड बही, बिल पंजिका इत्यादि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे। इसके अतिरिक्त फार्म बी0एम0-05 में आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सम्बन्धित माह में किए गये लेन-देनों के सत्यापन हेतु स्पष्ट रुप में वर्णित है कि "Certified that all the drawals shown in the statement are correct except the followings ones (if any) which have not been made by me" and "Besides the above the following are also the drawals (if any) by me during the month which have not been shown in the statement".

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून की रोकडबही की विस्तृत लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि चयनित माह मार्च 2018 में कोषागार द्वारा प्राप्त फार्म बी0एम0-05 के सी0टी0आर0 के कुल रु0 110.05 लाख की सकल धनराशि को रोकड बही में दर्शाया नहीं गया है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

क्रम सं	वाउचर संख्या	दिनांक	सकल धनराशि
1	A22100001	01.03.018	730550
2	A22100002	01.03.018	752840
3	A22100003	01.03.018	446734
4	A22100004	01.03.018	2440736
5	A22100005	01.03.018	565353
6	A22100006	01.03.018	61390
7	A22100007	01.03.018	100120
8	A22100008	01.03.018	559915
9	A22100009	01.03.018	185335
10	A22100001	01.03.018	318515
11	A22100002	01.03.018	422633
12	A22100032	06.03.018	1352068
13	A22100038	07.03.018	48025
14	A22100005	07.03.018	2760809
15	A22100008	13.03.2018	107530

16	A22100115	17.03.2018	15508
17	A22100255	29.03.2018	137441
		महायोग	11005502

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में समस्त ई-भुगतान की प्रविष्टि रोकड बही में की जाएगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि शासनादेश में स्पष्ट निर्देश पूर्व में ही निर्गत किए गये थे जिनका कार्यालय को अनुपालन किया जाना चाहिए था।

अतः ई-भुगतान की धनराशि ₹ 110.05 लाख को रोकड बही में प्रविष्टि न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-5- सामग्री आपूर्ति फर्मो से GST का ₹1,73,780/- अतिरिक्त भुगतान करना।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून द्वारा गठित निविदा समिति द्वारा वर्षवार साज-सज्जा/सर्जिकलउपकरण, हास्पिटल फर्नीचर, clothing, Xray/labchemical सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। जिससे की फर्मो द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सापेक्ष तुलनात्मक एल-1 निर्धारित किया जाए और उसी एल-1 फर्म से संबंधित सामग्री वर्षभर आवश्यकता के आधार पर विभाग द्वारा क्रय की जा सके।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकरी देहरादून के सामग्री आपूर्ति के अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना जॉच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 के अंतर्गत साज-सज्जा/सर्जिकलउपकरण, हास्पिटल फर्नीचर, clothing, Xray/labchemical सामग्री आपूर्ति करने हेतु निविदा आंमत्रित(दिनांक 05/12/2017) की गयी थी जिसके सापेक्ष विभिन्न फर्मो द्वारा निविदा डाली गयी थी जिसके अन्तर्गत दिनांक 02/01/2018 को साज-सज्जा/सर्जिकल उपकरण हास्पिटल फर्नीचर, हेतु विभिन्न फर्मो की निविदा स्वीकृत की गयी तथा निविदा मे प्रस्तुत item-wise दर की तुलनात्मक chart तैयार कर L-1 (item-wise-price)घोषित किया गया था जिसमें निविदा समिति द्वारा विभिन्न फर्मो से सामग्री आपूर्ति हेतु L-1 (Item-wise-price) स्वीकृत कर अनुबंध निष्पादित किया गया था लेकिन मैसर्स संजय कुमार, सार्थक enterprises एवं OM enterprises द्वारा GST के लिए यह मांग नहीं किया गया था कि "GST will be charged extra" जबकि अन्य फर्मो द्वारा सामग्री आपूर्ति की निविदा दर में स्पष्ट रूप से GST के लिए अतिरिक्त "GST will be Charged extra" मांग किया गया था। फिर भी उपरोक्त फर्मों के द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिलों(जिला योजना से CHC, CHAKARATA, DOIWALA,VIKASH NAGAR) में GST की धनराशि का अतिरिक्त मांग किये जाने पर विभाग द्वारा GST का अतिरिक्त भुगतान कुल ₹173780/- किया गया जो अनियमित था। लेखापरीक्षा मे यह भी पाया गया कि निविदा समिति द्वारा निविदा आमंत्रण करते समय सामग्रियों की गुणवत्ता एवं specification(विशिष्टता) के संबंध में उल्लेख नहीं किया था जिसके कारण फर्मो द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की दरों में बहुत अन्तर पाया गया|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकारते हुए अवगत् कराया गया कि निविदा आमंत्रण करते समय सामग्रियों की गुणवत्ता एवं specification(विशिष्टता) के संबंध में भविष्य में अनुपालन किया जाएगा तथा GST के मद में अतिरिक्त धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध मे पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा" |

विभाग का उत्तर तर्क संगत नहीं है एवं लेखा परीक्षा मे मान्य नहीं है क्योंकि कि संबंधित फर्मो के देयकों में जो भुगतान, GST के मद में की गई, की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी आवश्यक है । इस प्रकार सामग्री आपूर्ति फ़र्मों को GST का ₹1,73,780/- का अतिरिक्त भुगतान करने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तरः6- विभागीय शिथिलता एवं अनुश्रवण कि कमी के कारण धनराशि रु.₹ 1.80 करोड़ व्यपगत होना |

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होता है कि सम्यक विचारोप्रान्त बजट की मांग प्रस्तुत करे तथा धनराशि के अवशेष रहने की स्थिति में यथा समय समर्पित कर दिया जाना चाहिये जिससे कि अन्यत्र उसका उपयोग हो सके। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून को केंद्र पोषित, राज्य पोषित एवं अन्य योजना (जिला योजना सहित) के अन्तर्गत विभिन्न प्रयोजनों हेतु माँग के सापेक्ष वर्षवार धनराशि स्वीकृत की जाती है जिसका उपभोग वित्तीय नियमों के अधीन निर्धारित प्रयोजनों हेतु वर्षांत तक की जानी होती है |

बजट पत्रावली एवं संबन्धित लेखा अभिलेखों के नमूना जाँच में निम्न तथ्य प्रकाश में आया, जिसका विवरण निमन्वत है-

मद का नाम	allotment	expenditure	SURRENDER	SURRENDER (%)
24-major construction/tyunibase hospital	18000000	3333000	14667000	81.48
39-MED/CHEM	150000	49997	100003	66.67
29-ANURAKSHAN	500000	0	500000	100
ESTABLISHMENT OF GOVT ALOPATHIK HOSP	1260000	475000	785000	62.30
BLINDNESS/39-MED/CHEM	140000	39998	100002	71.43
25-MINOR WORKS	300000	0	300000	100
42-OTHER/FARE	500000	221210	278790	55.758
ESTABLISHMENT OF CHC	2282000	939239	1342761	58.84
Total	23132000	5058444	18073556	78.13

लेखापरीक्षा मे यह भी पाया गया कि मुख्य कोषाधिकारी देहरादून द्वारा दिनाँक 04-02-2018 को सभी आहरण वितरण अधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिये गए थे कि 24-03-2018 तक देयकों को कोषागारों में प्रस्तुत

किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा| उक्त संदर्भित धनराशियों की वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष बजट आवंटन वर्ष 2017-18 में प्रदान कर दी गयी थी |

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2017-18 हेतु स्वीकृत धनराशि ₹ 1.80 करोड़ मार्च 2018 तक उपयोग न होने के कारण व्यपगत (lapse) हो गयी। जोकि वित्तीय नियमों का स्पष्ट उल्लघन है|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया गया कि" 24-03-2018 तय दिनाँक को सभी देयकों को बिल भुगतान हेतु कोषागार मे प्रस्तुत कर दिया गया था लेकिन Bill Pass नहीं किया गया| विभाग का उत्तर स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। चुकि उक्त धनराशि का आवंटन पूर्व मे ही किया जा चुका था एवं कार्यालय द्वारा उक्त धनराशि संबन्धित देयकों को भुगतान हेतु अंतिम दिवस(24-03-2018) पर प्रेषित किया गया | यदि संबन्धित देयकों को भुगतान हेतु अंतिम दिवस(24-03-2018) से पूर्व प्रेषित कर दिया गया होता तो धनराशि ₹ 1.80 करोड़ व्यपगत होने से बचाया जा सकता था |

अतः विभागीय शिथिलता एवं अनुश्रवण कि कमी के कारण वर्ष 2017-18 हेत स्वीकृत धनराशि ₹ 1.80 करोड़ व्यपगत होने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:1- नैदानिक स्थापना अधिनियम के अन्तर्गत फिजिओथेरिपी व इलेक्ट्रोपेथी/ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अन्तर्गत चिकित्सा अभ्यास करने वाले समस्त चिकित्सकों को पंजीकरण नहीं करने के परिणामस्वरूप रु.14.46 लाख धनराशि प्राप्त नहीं होने के कारण विभाग को राजस्व क्षति उठानी पड़ी।

नैदानिक स्थापना रजिस्ट्रीकरण और विनियमन अधिनियम एक्ट 2010 (Clinical Establishment Registration & Regulation Act 2010) एवं उत्तराखण्ड शासन को अधिसूचना 1889/XXVII-2/04(81)2007 दिनांक: 31 अक्टूबर 2015 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के सभी चिकित्सा पद्धति में व्यवसाय करने वाले सरकारी/ गैर सरकारीचिकित्सालय, नर्सिंग होम (MBBS, BDS, BAMS, BUMS, BHMS, BSMS, YOGA, NATUROPATHY & SOWA RIGPA) क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर को पंजीकृत किया जाना प्रावधानित किया गया था। उत्तराखण्ड शासनादेश (जून 2016) द्वारा उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली 2015 को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को निर्देशित किया गया था।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून के संबन्धित लेखा-अभिलेखों की जांच में पाया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ प्राधिकरण अध्यक्ष द्वारा निर्गत सूचना (अगस्त 2016) में स्पष्ट रूप से उत्तराखण्ड के सभी चिकित्सा व्यवसाय करने वाले चिकित्सालय, नर्सिंग होम केन्द्रों (MBBS, BDS, BAMS, BUMS, BHMS, BSMS, YOGA, NATUROPATHY & SOWA RIGPA) को एक माह के भीतर पंजीकृत करने हेतु निर्देशित किया गया था, नहीं तो अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करने के लिए बताया गया था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत कार्यरत केन्द्रों, फिजिओथेरिपी, इलेक्ट्रोपेथी/ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ना तो रजिस्ट्रेशन (अनंतीत/अंतीम) किया गया ना ही विधिक कार्यवाही कर अधिनियम के तहत वसूली की गयी (सूची संलग्न) परिणामस्वरूप विभाग को धनराशि रु.14.46 की राजस्व क्षति उठानी पड़ी।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुखय चिकित्सा अधिकारी द्वारा तथ्यों को स्वीकारते हुये बताया गया कि जनपद देहरादून मे इलेक्ट्रिपैथी /इलेक्ट्रिहोओपैथी के अंतर्गत चिकित्सा अभ्यास करने वाले केन्द्रो को उक्त अधिनियम के तहत पंजीकरण किया जाना है। ,इस संबंध मे ,जिला अधिकारी द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के तहत सचिव, चिकित्सा स्वास्थ एवं परिवार कल्याण,उतराखंड शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ एवं परिवार कल्याण उतराखंड से दिशा निर्देश प्राप्त करने हेतु पत्र निर्गत गया है । उनके द्वारा प्रपट निर्देशों के तहत पंजीकरण की कार्यवाही Augt.2016 को निर्गत नोटिस के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी अतः उक्त प्रकरण विचरधीन है ,परंतु फिजिओथेरपी केन्द्रो का पंजीकरण किया जा रहा है । नैदानिक स्थापना रजिस्ट्रीकरण और विनियमन अधिनियम एक्ट के तहत जनपद मे चिकित्सा अभ्यास करने वाले समस्त केन्द्रो का पंजीकरण किया जाना प्रावधानित है परंतु निर्गत नोटिस (August 2016) से लेखा परीक्षा अवधि तक (फरवरी2019) तक फिजिओथेरिपी, इलेक्ट्रोपेथी/ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का पंजीकरण नहीं किया गया ।

इस प्रकार ,नैदानिक स्थापना अधिनियम के अन्तर्गत फिजिओथेरिपी व इलेक्ट्रोपेथी/ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अन्तर्गत चिकित्सा अभ्यास करने वाले समस्त चिकित्सकों को पंजीकरण नहीं करने के परिणामस्वरूप रु.14.46 लाख धनराशि प्राप्त नहीं होने के कारण विभाग को राजस्व क्षति उठानी पड़ी का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर-2- प्रावधानित नियमों के विरुद्ध बिना निविदा औषधि एवं सर्जिकल सामग्री के मद मे रु. 17.58 लाख का ना सिर्फ अनियमित व्यय किया गया बल्कि बिना सक्षम स्वीकृति प्रपट किए अनियमित व्यय करने के सम्बन्ध में।

निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्रांक दिनांक: 16.03.2018 के द्वारा राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून को औषधियों एवं सर्जिकल के क्रय करने हेतु NHM Drug Services के अन्तर्गत रु. 3.00 करोड़ की धनराशि दिनांक 29.03.2018 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून द्वारा राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून को आवंटित की गयी थी। उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग प्राचार्य, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून द्वारा निम्न शर्तों के अधीन किया जाना प्रावधानित किया गया था -

(i) वित्तीय वर्ष 2017-18 में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 एवं उत्तराखण्ड औषधि क्रय नीति 2015 के अनुसार क्रय की गयी औषधियों एवं सर्जिकल सामग्री के बीजकों का भुगतान किया जाएगा।

(ii) आवश्यक औषधियों की सूची (EDL) में उल्लेखित गंभीर रोगों के उपचार में प्रयोग हो रही/ होने वाली जीवन रक्षक औषधियों एवं सर्जिकल सामग्री का क्रय किया जाएगा।

(iii) उक्त धनराशि से औषधियों एवं सर्जिकल सामग्री का क्रय / भुगतान तत्समय उक्त औषधियों एवं सर्जिकल सामग्री हेतु महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में अनुमोदित दरों अथवा उससे कम दरों के आधार पर किया जाएगा।

(iv) उक्त धनराशि हेतु सत्यापित Statement Of Expenditure (SOE) एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (Utilization Certificate) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 31 मार्च 2018 तक उपलब्ध कराया जाएगा।
तथा उत्तराखण्ड औषधि क्रय नीति 2015 के अनुसार भारत सरकार द्वारा चिन्हित 103 औषधियों को छोडकर शेष समस्त औषधियों का क्रय टेंडर के माध्यम से कराये जाने का प्रावधान किया गया था ।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून के NHM से संबन्धित लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून द्वारा को NHM के तहत औषधि एवं सर्जिकल सामग्री उपरोक्त शर्तो के साथ क्रय करने हेतु प्राचार्य राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून को 3 करोड़ की धनराशि दिनांक 29.03.218(वर्ष 2017-18) को उपलब्ध करायी गयी थी, जिसके सापेक्ष प्राचार्य, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज द्वारा औषधि एवं सर्जिकल सामग्री का क्रय करने के बजाय दिनांक 01.01.2017 (वर्ष 2016-17) से 01.03.2018 (वर्ष 2017-18) तक के दौरान पूर्व में क्रय की गयी औषधियां रु. 2,20,06,345/- एवं सर्जिकल सामग्री रु. 65,95,117/- कुल धनराशि रु. 2,86,01,462/- के लम्बित बिलों का भुगतान का समायोजन बिना सक्षम स्वीकृति प्राप्त किए किया गया था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि दिनांक 01.01.2017 (वर्ष 2016-17) से 01.03.2018 (वर्ष 2017-18) के दौरान प्राचार्य दून चिकित्सालाय के द्वारा बिना धनराशि उपलब्धता

सुनिश्चित किए मेसर्स मेदिकोन फ़ार्मा एवं मेसर्स सार्थक एंटरप्राइज़ से औषधि एवं सर्जिकल सामग्री की मद में क्रमस: (रु 16,15,531=00,रु 1,42.414=00) कुल रु. 17.58 लाख का क्रय बिना निविदा आमंत्रित किए "औषधि क्रय नीति" के विरुद्ध की गयी, जबकि NHM के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून द्वारा निर्गत धनराशि (3.00 करोड़) के औषधियां एवं सर्जिकल सामग्री के मद मे व्यय करने के शर्तों में केवल वर्ष 2017-18 हेतु क्रय /लंवित विलो के भुकतान हेतु प्रावधानित किया गया था जिसके सापेक्ष मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा लम्बित बिलों (वर्ष 2016-17 एवं 2017-18) हेतु ना तो अलग से मांग पत्र प्रेषित किया गया था ना ही वर्ष 2016-17 हेतु लम्बित बिलों के भुगतान या समायोजन हेतु सक्षमप्राधिकारी (निदेशक एनएचएम) द्वारा स्वीकृति प्राप्त किया गया था तथा ना ही निविदा आमंत्रित कर क्रय किया गया । इस प्रकार स्पस्ट होता है कि प्रावधानित नियमों के विरुद्ध बिना निविदा औषधि एवं सर्जिकल सामग्री के मद मे रु. 17.58 लाख का ना सिर्फ अनियमित व्यय किया गया बल्कि बिना सक्षम स्वीकृति प्रपट किए अनियमित व्यय करने के सम्बन्ध में।

लेखा परीक्षा मे इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा वाताया गया कि मेसर्स मेदिकोन फ़ार्मा एवं मेसर्स सार्थक एंटरप्राइज़ से औषधि एवं सर्जिकल सामग्री की मद में क्रमस: रु 16,15,531=00,रु 1,42.414=00 का क्रय आवश्यकता के दिष्टिगत बिना निविदा आमंत्रित किए किया गया था तथा पूर्व मे बिना धनराशि उपलब्धता के औषधि एवं सर्जिकल सामाग्री का भी क्रय किया गया था । उत्तर मान्य नहीं है क्योकि यह धनराशि औषधियां एवं सर्जिकल सामग्री के मद मे क्रय करने/ लम्बित बिलों के भुगतान हेतु सिर्फ वर्ष 2017-18 के लिए किया जाना था जबकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा वर्ष 2016-17 के लम्बित बिलों का न सिर्फ भुगतान किया गया था बल्कि बिना निविदा औषधि एवं सर्जिकल सामग्री के मद मे रु. 17.58 लाख का ना सिर्फ अनियमित व्यय किया गया जिसकी सक्षम स्वीकृति भी प्राप्त नहीं किया गया था।

इस प्रकार, प्रावधानित नियमों के विरुद्ध बिना निविदा औषधि एवं सर्जिकल सामग्री के मद मे रु. 17.58 लाख का ना सिर्फ अनियमित व्यय किया गया बल्कि बिना सक्षम स्वीकृति प्राप्त किए अनियमित व्यय करने के सम्बन्ध का प्रकरण शासन के सज्ञान मे लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर- 3:- धनराशि रू. 812976/- की अपरिहार्य लंबित देयता

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून की विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु चयनित माह मार्च 2018(विद्युत बिल संबंधी लेखा-अभिलेखों)की जाँच में पाया गया CHC SAHIYA CHAKRATA DEHRADUN दिनाँक 31/01/2018 को कुल रू॰ 889795/- विद्युत बिल संबंधी देयता थी, जिसमे से रू॰8703/- की Late payment surcharge भी सम्मिलित था | उक्त देयता मे से धनराशि रू॰ 379385/- भुगतान माह 03/018 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून के द्वारा किया गया था एवं शेष रू॰ 510410/- लंबित देयता थी | आगे जांच में यह पाया गया कि दिनाँक 31/01/2019 को कुल रू॰ 812976/-(including LPS रू॰7528/-) विद्युत बिल संबंधी देयता शेष थी| यदि उक्त बिल का भुगतान समयानुसार किया गया होता तो Late payment surcharge सहित अपरिहार्य लंबित देयता से बचा जा सकता था |

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि " CHC SAHIYA CHAKRATA DEHRADUN को संचालन करने हेतु मैसर्स राजभरा से अनुबंध निष्पादित किया गया था एवं अनुबंध समाप्त होने के वजह से तत्समय विद्युत बिल संबंधी देयता ₹ 433591/-(मैसर्स राजभरा का अंश) जमा नहीं किया जा सका एवं वर्तमान मे उक्त धनराशि चैक के माध्यम से प्राप्त हो गई है" | परंतु उक्त के समर्थन मे साक्ष्य उपलब्ध नहीं किया गया | उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून एवं CHC SAHIYA CHAKRATA द्वारा अनुबंध समाप्त होने से पूर्व मैसर्स राजभरा से धनराशि प्राप्त कर भुगतान किया जा सकता है और अपरिहार्य लंबित देयता से बचा जा सकता था |

अत: कुल धनराशि ₹ 812976/-(including LPS रू॰7528/-) विद्युत बिल संबन्धित अपरिहार्य लंबित देयता का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
2005-06	1,2,3,4,5,6,7	1
2007-08	2	5
2008-09	1	7
2009-10	1	2
2010-11	2	--
2011-12	--	1
2012-13	1	1,2,3,4,5,6
2013-14	1	1,2
2015-16	1,2,3,4	1,2,3,4,5,6
2016-17	--	1,2,3,4
2017-18	1	1,2,3,4,5,6,7

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
वर्ष 2015-16 की अनुपालन आख्या महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देहरादून को प्रेषित की जा चुकी है। प्रति संलग्न शेष वर्षो की अनुपालन आख्या तैयार की जा रही है। जिसे यथाशीघ्र महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) NHM से संबंधित रोकड़बही, चेक रजिस्ट्र एवं व्यय वाउचर संबंधित अभिलेख

(ii) ASHA Research Centre हेतु संचालित ASHA Training से संबंधित समस्त अभिलेख

(iii) भवन से संबंधित पत्रावली, निष्प्रयोज्य सामग्री से संबंधित अभिलेख

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i)

(ii) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डॉ वाई. एस. थपलियाल	मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून	02.11.2017 से 25.05.2018
2.	डॉ एस. के. गुप्ता	मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून	22.05.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून** को इस आशय अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, उत्तराखण्ड,-248195 देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ट लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.